कार्यालय आयुक्त पुलिस, दिल्ली, पुलिस मुख्यालय नई दिल्ली.

संख्या /जनसम्पर्क शाखा, पुलिस मुख्यालय, दिल्ली, दिनांक /2009.

सेवा में,

सम्पादक,
पंजाब केसरी,

विषयः– **स्पष्टीकरण बाबत "भाई की मृत्यु पर भी एएसआई को नहीं मिली छुट्टी।"**

महोदय,

आपके समाचार पत्र में दिनांक 3.5.2009 को प्रकाषित "चुनाव बाद जाना भाई का शव लेनेः एसीपी, भाई की मौत पर भी नहीं दी एएसआई को छुट्टी व भाई की मृत्यु पर भी एएसआई को नहीं मिली छुट्टी" शीर्षक के अर्न्तगत छपी खबर में तथ्यों को तोड़मरोड कर प्रकाषित किया गया है।

खबर में प्रकाषित संक्षिप्त तथ्यों के अनुसार थाना न्यू उस्मानपुर में तैनात एएसआई जोगेन्द्र सिंह के भाई की मौत पर भी दहा संस्कार में शामिल होने के लिए एएसआई को छुट्टी नहीं मिली।

रिकार्ड के अनुसार दिनांक 27.4.2009 को थाना प्रभारी न्यू उस्मानपुर को एएसआई जोगेन्द्र सिंह ने टेलिफोन से बतलाया कि उसके बड़े भाई का स्वर्गवास हो गया है, जिसकी अन्तिम किया के लिए उसको जाना है। एसएचओं न्यू उस्मानपुर ने ये बात टेलिफोन से एसीपी को बतलायी। एसीपी ने एएसआई को तुरन्त चार दिन का अवकाष स्वीकृत किया और जाने की अनुमति दे दी। इस बाबत थाने के रिकोर्ड के अनुसार एएसआई जोगेन्द्र सिंह दिनांक 27, 28, 29 व 30.4.2009 को अवकाष पर रहे। इसी दौरान एएसआई जोगेन्द्र सिंह ने एक छुट्टी का प्रार्थना पत्र जिसमें 4 दिन की छुट्टी, जो पहले ही स्वीकृत की जा चुकी थी, प्रेषित किया। क्योंकि एसीपी सिलमपुर को पहले से ही मालुम था कि एएसआई जोगेन्द्र सिंह को 4 दिन के अवकाष पर छोडा हुआ है, इसी कारण एएसआई जोगेन्द्र सिंह की दरखास्त को लौटा दिया गया।

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थतियों के मद्दनजर रखते हुए यह स्पष्ट होता है कि एएसआई जोगेन्द्र सिंह को चार दिन का तत्काल अवकाष दिया गया था। अतः छुट्टी नहीं दी जाने की खबर बिलकुल गलत व बेबुनियाद है।

अतः आपसे अनुरोध है कि वास्तविक तथ्यों को समुचित स्थान पर प्रकाषित कराने की व्यवस्था करें, ताकि पाठकगण सही जानकारी से अवगत हों।

धन्यवाद !

(राजन भगत)
जनसम्पर्क अधिकारी,
दिल्ली पुलिस, दिल्ली।